रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 1973/भाद्र 7, 1895

No. 292] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 1973/BHADRA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 29th August 1973

S.O. 449(E).—Whereas the Central Government is of opinion that for the purposes specified in Clause (i) and Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 139 of the Border Security Act, 1968 (47 of 1968), an officer of a rank corresponding to or lower than that of officers, and subordinate officers of the Force is empowered to exercise the powers and discharge the duties under Section 13 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby directs that for the purposes referred to in clause (i) and clause (ii) of that Sub-section, any officer or subordinate officer of the Force may, within the local limits of the areas specified in the Schedule annexed hereto, exercise the powers and discharge the duties under section 13 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967).

SCHEDULE

1. The whole of the area comprise in the Union territories of Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and the State of Jammu & Kashmir.

2. So much of the area comprised within the belt of eighty kilometers in the State of Gujarat, fifty kilometers in the State of Rajasthan, and fifteen kilometers in the States of Punjab, West Bengal and Assam, running along the borders of India.

[No. F. 4/5/71-CLO/BSF.]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy. (P).

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 29 अगस्त, 1973

का० आ० 449(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उपधारा (1) के खण्ड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, बल के अधिकारी, और अधीनस्थ अधिकारी के समरूप या निम्नतर रैंक का अधिकारी पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त है :

अतः, अब, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उस उपधारा के खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बल का कोई अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं के भीतर कर सकेगा।

अनुसूची

1. मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड और मेघालय संघ राज्य क्षेत्रों में तथा जम्मू-कश्मीर राज्य में समाविष्ट समस्त क्षेत्र।
2. भारत की सीमाओं से लगा हुआ उतना क्षेत्र, जो गुजरात राज्य में अस्सी किलोमीटर, राजस्थान राज्य में पचास किलोमीटर और पंजाब, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में पन्द्रह किलोमीटर के इलाके के भीतर समाविष्ट है।

[सं० फा० 4/5/71-डी एल ओ/बी एस एफ]

सी० बी० सोमय्या, संयुक्त सचिव (पी)।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973